न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 20/2018

चन्द्राराम आदि बनाम मूर्ति मन्दिर नृसिंहजी आदि

प्रार्थना पत्र बाजदायरी बाबत

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

–आदेश–

दिनांकः– 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 31/2006 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई है। इस पर यह बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन अपील में अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री किशोर मील थे इनकी मृत्यु मार्च 2018 में हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता की अनुपस्थिति में विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जानकारी होने पर बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर ली जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को उनके अधिवक्ता की सूचना श्री किशोर मील अधिवक्ता के जुनियर द्वारा दे दी गई थी। अपीलांट ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लापरवाही करते हुये उपस्थिति नही दी है। अपीलांट का आवेदन मियाद बाहर है। अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। अत बाजदायरी आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन अपील में अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री किशोर मील थे इनकी मृत्यु मार्च 2018 में हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता की अनुपस्थिति में विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जानकारी होने पर बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है जो लगभग 17 – 18 दिन की देरी से प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने के तथ्य एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये बाजदायरी आवेदन 500 रूपये कोष्ट पर स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर